फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

138

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय।

पत्रांक : 3333 /सम्बद्धता/2009 दिनांक : 18 /07/2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत चित्रकला एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	कु0 रेनू शाही	प्रवक्ता–चित्रकला
2.	श्री जनार्दन कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता–भूगोल

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव
18/07/09
18.7.2009

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर, बरडीहा-कुशीनगर

संलग्नक :

1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की छाया प्रति।

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

139

पत्रांक : 3359 / सम्बद्धता / 2009 दिनांक : 20 / 07 / 2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 9.07.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	सुश्री रागिनी मिश्रा	प्रवक्ता–गृहविज्ञान
2.	श्री जयहिन्द पाण्डेय	प्रवक्ता–अंग्रेजी

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[signature]
कुलसचिव
20.7.2009
20/07/09

संलग्नक :
1. शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की छाया प्रति।

128

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 1193 /सम्बद्धता/2005 — दिनांक : 06 .04.2005

सेवा में,

प्रबन्धक,
....,
विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर।

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 01/02/2005 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1	डा०सुरेश चन्द्र पाण्डेय	हिन्दी
2	श्री गिरजा नन्दन त्रिपाठी	संस्कृत
3	डा० सचिन्द्र पाण्डेय	इतिहास
4	श्री अम्बरीश शुक्ल	शिक्षा शास्त्र
5	श्री निर्भय कुमार उपाध्याय	राजनीति शास्त्र
6	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	समाज शास्त्र
7	श्री विजय कुमार उपाध्याय	अर्थशास्त्र

2. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।

4. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
...कुशीनगर

कुलसचिव

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

> इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 741 /सम्बद्धता/2005 दिनांक : 8.10.2005

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय
जगदीशपुर (बरडीहा)
कुशीनगर ।

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 30/9/05 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1-	डा० रंजना श्रीवास्तव	हिन्दी

2. महाविद्यालय में प्र[illegible] की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये [illegible]धानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।

4. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
8/X/2005
उपकुलसचिव
Dy. Registrar

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।

6-10-05

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

136

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 3335 / सम्बद्धता / 2009 दिनांक : 18 / 07 / 2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्राणिविज्ञान, गणित, वनस्पतिविज्ञान एवं रसायनविज्ञान विषयों में प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डॉ0 श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव	प्रवक्ता–प्राणिविज्ञान
2.	श्री नवल किशोर मिश्र	प्रवक्ता–गणित
3.	डॉ0 कु0 राजेश्वरी मिश्रा	प्रवक्ता–वनस्पतिविज्ञान
4.	श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता–रसायनविज्ञान

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव
18.7.2009
18/07/09

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर

संलग्नक :
1. शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की छाया प्रति।

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

पत्रांक : 3360 / सम्बद्धता / 2009 दिनांक : 20 / 07 / 2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 9.07.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता–भौतिकी

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव
20.7.2009

संलग्नक :
1. शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की छाया प्रति।

20/07/09

135

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय।

पत्रांक : 3334 /सम्बद्धता/2009 दिनांक : 18/07/2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषयों में प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डॉ0 सरोज सिंह	प्रवक्ता–हिन्दी
2.	डॉ0 रानू दूबे	प्रवक्ता–हिन्दी
3.	डॉ0 सतीश कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता–हिन्दी
4.	कु0 निधि मिश्रा	प्रवक्ता–समाजशास्त्र
5.	कु0 सरोज	प्रवक्ता–समाजशास्त्र
6.	डॉ0 राजेश चौरसिया	प्रवक्ता–समाजशास्त्र

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर, बरडीहा-कुशीनगर

कुलसचिव

18.7.2009

संलग्नक :

1. शासनादेश संख्या 2443 /सत्तर-2-2000-2(85)/97

135

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय ।

पत्रांक : 3334 /सम्बद्धता/2009

दिनांक : 10/07/2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर

विषय : **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषयों में प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डॉ0 सरोज सिंह	प्रवक्ता–हिन्दी
2.	डॉ0 रानू दूबे	प्रवक्ता–हिन्दी
3.	डॉ0 सतीश कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता–हिन्दी
4.	कु0 निधि मिश्रा	प्रवक्ता–समाजशास्त्र
5.	कु0 सरोज	प्रवक्ता–समाजशास्त्र
6.	डॉ0 राजेश चौरसिया	प्रवक्ता–समाजशास्त्र

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रबन्धक
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदीशपुर, बरडीहा-कुशीनगर

भवदीय,

कुलसचिव

18.7.2009

संलग्नक :

1. शासनादेश संख्या 2443 /सत्तर 2 2000 2(85) /97

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/2015/..1065

दिनांक 26/8/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत** प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक **25.07.2015** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	कु0 अदिती	श्री राज नाथ यादव	13.04.1981	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
2	श्री सतेन्द्र बहादुर सिंह	श्री जनार्दन सिंह	12.05.1980	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
3	श्री बृजेश कुमार यादव	श्री केदार नाथ यादव	01.01.1982	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
4	डॉ0 राकेश कुमार मिश्र	श्री राजदत्त मिश्रा	01.12.1969	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र

नोट–

1. क्रम संख्या 1, 2, 3 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यता की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।**
4. **डॉ0 शुभ्रा शर्मा** पुत्री श्री वेद प्रकाश शर्मा चयनित प्रवक्ता, गृहविज्ञान विषय का अनुमोदन दुलारी देवी पी0जी0 कालेज, बिन्दवलिया भीखमपुर, देवरिया एवं माता रानी रूमाली देवी महाविद्यालय, नंदुआ बाजार, महराजगंज में होने के कारण अनुमोदन नहीं किया गया है। उक्त प्रवक्ताओं के सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमोदन के संबंध में विचार किया जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

अधीक्षक (सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/..2279 *दिनांक 23./03/2017*

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ताओं** के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 04.01.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में प्रवक्ता** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	कु0 रीता गुप्ता	श्री मुन्नू गुप्ता	05-07-1989	प्रवक्ता, गृहविज्ञान (स्नातक स्तर)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित **प्रवक्ता** का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।**
3. क्रम संख्या **1 पर** चयनित प्रवक्ता के **नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन** एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,
23/03/17
प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

***पत्रांक : सम्बद्धता/2016/*.1348.** ***दिनांक* 20../.09./2016**

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में प्रवक्ताओं** के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक **13.08.2016** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में प्रवक्ताओं** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	श्री सीता राम सिंह	06-04-1984	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा (स्नातक स्तर)
2	श्री दिलीप कुमार जायसवार (अनु0जा0)	श्री हीरालाल जैसवार	05-05-1985	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र (पी0जी0 स्तर)
3	प्रिया केसरवानी	श्री राजेश कुमार केसरवानी	06-01-1986	प्रवक्ता, गृहविज्ञान (पी0जी0 स्तर)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित **प्रवक्ता** का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर** विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
3. क्रम संख्या **1 से 3** तक चयनित प्रवक्ता के **नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन** एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. चयनित प्रवक्ता कु0 रीता गुप्ता (गृहविज्ञान) **का अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।**

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,
16/09/2016
प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/2015/..1066

दिनांक 26./.8./2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा,
कुशीनगर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत** प्रवक्ता के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक **12.06.2015** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय में प्रवक्ता** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ0 रूदल कुमार सिंह	श्री राम प्रीत सिंह	01.07.1976	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र
2	श्री सुनील कुमार पटेल	श्री जगत बहादुर पटेल	05.05.1985	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र

नोट–

1. क्रम संख्या 2 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यता की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।**
4. **श्री रवि शंकर** पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह चयनित प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र विषय का अनुमोदन राघव प्रसाद मसाली देवी महिला महाविद्यालय, गोरखपुर में होने के कारण अनुमोदन नहीं किया गया है। उक्त प्रवक्ताओं के सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमोदन के संबंध में विचार किया जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

अधीक्षक (सम्बद्धता)